न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 80/2019

1 मोहनलाल पुत्र छाजूराम।
2 सत्यवीर पुत्र छाजूराम।
3 मिश्रो देवी पत्नी भादर।
4 रामनिवास पुत्र भादर।
5 मनीराम पुत्र भादर।
6 राजवीर पुत्र भादर।
7 सज्जन पुत्र नानड़राम।
8 बाबूलाल पुत्र नानड़राम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण लालामण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 भलिया देवी पुत्री छाजूराम।
10 चमेली देवी पत्नी लीलाधर।
11 मन्नी पुत्री भादर पत्नी राजपाल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण सागरपुर (इमराड़ा) तहसील नारनौला जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

1 सुभाषचन्द पुत्र रामस्वरूप।
2 भीमसिंह पुत्र रामस्वरूप।
3 धर्मपाल पुत्र मातादीन।
4 रघुवीर पुत्र मातादीन।
5 ओमप्रकाश पुत्र मातादीन नवीरा मातीया उर्फ मातादीन।
6 सुनिल कुमार पुत्र जयनारायण।
7 मीरसिंह पुत्र दलीप।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 रणसिंह पुत्र दलीप नवीरा रणजीत समस्त जाति मेघवाल निवासीगण लालामण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 26.09.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी बुहाना बमुकदमा उनवानी सुभाषचन्द
बनाम मोहनलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 52/2018
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 52/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 8 ने एक वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व अस्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम उदामण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बीघा 6 बिस्वा के खातेदार सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन रणजीत पुत्रान चन्नाराम जमाबंदी संवत 2017 में दर्ज है तथा खातेदारी अधिकार स्वरूप खसरा गिरदावरी में भी सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत पुत्रान चन्नाराम सभी बराबर हिस्सा 8.8 बीघा संवत 2010–11 में दर्ज है। गत खसरा नम्बर 134 से हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 6.14 हैक्टेयर है स्व. चन्नाराम के तीन वारिस जिसमें सहीराम सबसे बड़ा व कर्ताखानदान रहा है गांव की पंचायत व अन्य सभी बाहर के आवश्यक कार्य सहीराम ही करता था। जिस कारण से संवत 2017 के पश्चात खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134 में केवल सहीराम का ही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा। स्व. मातिया उर्फ मातादीन व रणजीत का नाम दर्ज होने से रह गया जो स्व. सहीराम कर्ताखानदान रहने की वजह से अथवा राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण रह गया। जिसे दुरूस्त करवा कर प्रार्थीगण अपने हिस्से की घोषणा करवा कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण से रिकार्ड दुरूस्ती हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया और यह वाद वर्णित भूमि किसी अन्य को बेचान कर देगें। अपने आप तुम से कब्जा भी लेगें। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से की भूमि किसी अन्य को बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मुल्यांकन मुद्रा में किया जाना सम्भव नहीं है। वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का (रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5) का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 का 1/3 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अपने हक पूर्वाधिकारी मातिया उर्फ मातादीन व रणजीत के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है यदि राजस्व कर्मचारियों की गलती अथवा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के हक पूर्वधिकारी सहीराम के कर्ताखानदान होने के कारण वाद वर्णित भूमि गलत रूप से अकेले सहीराम के नाम दर्ज होने से तथा अब अप्रार्थीगण को रिकार्ड दुरूस्ती कहने को कहा तो उनके द्वारा मना करना आदि प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। मामले में बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 26.09.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर लिया गया इससे व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दु को तय करने में कानूनी भूल की है क्योंकि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 134 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही अर्थात ठिकाना जागीरदारी प्रथा से ही सहीराम पुत्र चन्नाराम उर्फ धन्नाराम इस भूमि के एकांकी खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे है। समस्त राजस्व रिकार्ड सहीराम पुत्र धन्नाराम उर्फ चन्नाराम के नाम रहा है खातेदारी अधिनियम लागु होने के बाद भी संवत 2012 में उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार सहीराम ही दर्ज रिकार्ड रहे है। इस भूमि से मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत आदि का कोई लेना–देना नही रहा है। ना ही उनका कभी इस भूमि के किसी भू–भाग पर कब्जा काश्त रहा है राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी गलत इन्द्राज से वह खातेदार नहीं माने जा सकते संवत 2017 में उनका नाम अगर खातेदारी में दर्ज होता तो जमाबंदी में कही तो कोई नोट लगाया जाता या उनके नाम नामान्तकरण भरा जाता तथा नाम दर्ज किये जाने का विवरण दर्ज होता लेकिन संवत 2012 से किसी भी जमाबंदी में ऐसा कोई विवरण नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर एक खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.05.2018 को रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 8 का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी उसको आधार बनाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 8 का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा खसरा गिरदावरी व शपथ पत्र को आधार बनाकर प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में तय किया है कानूनन एक स्ट्रेन्जर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

व्यक्ति रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय ने कब्जा न होते हुए भी उनका कब्जा मानने की गलत फाईडिंग दी है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पूर्वज सहीराम के पिता चन्नाराम उर्फ धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में कभी भी दर्ज नहीं रही है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के एकल खातेदार काश्तकार अपीलांट्स ही है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 का कब्जा मानकर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। बिना मौका रिपोर्ट के रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 का कब्जा मानकर भारी भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी 2020 पेज 120, आर.आर.डी. 2018 पेज 565 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संवत 2012 में अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय आवेदकगण के हक पूर्वाधिकारी मातिया उर्फ मातादीन की खातेदारी में दर्ज रही है। जिसका नाम संवत 2017 में भी दर्ज रिकार्ड रहा है तथा तब से उसके कब्जे काश्त में रहने का कथन आवेदक का रहा है। खसरा गिरदावरी संख्या 2012 से 2017 में काश्त होना प्रथम दृष्टया साबित होता है। यही स्थिति संवत 2019 तक रही है इसके बाद सेंटलमेन्ट के द्वारा इस भूमि की खातेदारी सहीराम और उसके वारिसान अर्थात अनावेदकगण के नाम दर्ज की गई। ग्राम उदामण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत पुत्रान चन्नाराम जमाबंदी संख्या 2017 में दर्ज है, तथा खातेदारी अधिकार स्वरूप खसरा गिरदावरी में भी सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत पुत्रान चन्नाराम सभी बराबर हिस्सा 8–8 बीघा संवत 2010–11 में दर्ज है। गत खसरा नम्बर 134 से हाल खसरा नम्बर 128 बना है। चन्नाराम के तीन वारिस जिसमें सहीराम सबसे बड़ा व कर्ताखानदान रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत 2012 में अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय आवेदकगण के हक पूर्वाधिकारी मातिया उर्फ मातादीन की खातेदारी में दर्ज रही है। जिसका नाम संवत 2017 में भी दर्ज रिकार्ड रहा है तथा तब से उसके कब्जे काश्त में रहने का कथन आवेदक का रहा है। खसरा गिरदावरी संख्या 2012 से 2017 में काश्त होना प्रथम दृष्टया साबित होता है। यही स्थिति संवत 2019 तक रही है इसके बाद सेंटलमेन्ट के द्वारा इस भूमि की खातेदारी सहीराम और उसके वारिसान अर्थात अनावेदकगण के नाम दर्ज की गई। ग्राम उदामण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत पुत्रान चन्नाराम जमाबंदी संख्या 2017 में दर्ज है, तथा खातेदारी अधिकार स्वरूप खसरा गिरदावरी में भी सहीराम, मातिया उर्फ मातादीन, रणजीत पुत्रान चन्नाराम सभी बराबर हिस्सा 8–8 बीघा संवत 2010–11 में दर्ज है। गत खसरा नम्बर 134 से हाल खसरा नम्बर 128 बना है। चन्नाराम के तीन वारिस जिसमें सहीराम सबसे बड़ा व कर्ताखानदान रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर